गोपाल .... बनाम .... लाडो देवी

किस्म मुकदमा 225 .... मु. नं0 19 .... वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26-7-2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी ख0नं0 1124 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 1125 रकबा 3.50 हैक्टर ग्राम गोठड़ा अपीलान्ट के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है । जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकपक्षी अन्तरिम आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने अपना जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21-12-2017 को पेश कर दिया जिसकी नकल उसी दिन दे दी गई इसके बाद भी अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश को अन्तिम रूप से निर्णित नहीं किया जाकर उसमें विधि के विपरित आगे से आगे तारीख पेशी देकर एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना वजह अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। जबकि अन्तरिम आदेश को आदेश-39 नियम-3सीपीसी के अनुसार 30 दिन में अन्तिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय आगे से आगे जारी रखा है ।अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावे । बहस बगौर समाहत की गई ।अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपना एकपक्षीय आदेश दिनांक 28-11-2017 को जारी किया गया जिसमें विरोधी पक्षकार को नहीं सुना गया । विरोधी पक्षकार ने दिनाक 21-12-17 को अपना जबाब पेश कर दिया। अब न्यायालय को एकपक्षीय आदेश को आदेश-39 नियम-3क के अनुसार	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अन्तरिम आदेश को 30 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र का निस्तारण अन्तिम रूप से किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने आज्ञापक आदेश की कोई पालना ने कर अन्तरिम आदेश को 6-3-2018 तक जारी रखा है जो विधि के विपरित है। यहां पर अपीलान्ट/अप्रार्थी ने अपना जबाब भी पेश कर दिया इसके बाद भी अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश को एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध जारी रख विधि की भूल की है । जिसके कारण हम अदालत मातहत के अन्तरिम आदेश को आदेश-39 नियम -3क सीपीसी के अनुसार यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।	
	अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 28-11-2017 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश-39 नियम-3क सीपीसी के अनुसार 30 दिन में अन्तिम रूप से निस्तारण करें । पक्षकार अदालत मातहत में ~~विवरण~~ प्रार्थना पत्र में नियत पेशी पर ~~30~~ उपस्थित होवें । पत्रावली नम्बर से कम हो।	
	निर्णय सुनाया गया । 26/2/18	
	(भंवरलाल मेहरड़ा)	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं	
	पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी	
	सीकर	